

// सूचना //

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले
बंध पत्र के संबंध में

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण की काउंसिलिंग से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश के समय द्वितीय चरण हेतु अपग्रेड होने का ऑप्शन दिया है को रू0 500/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र अधिष्ठाता संबंधित महाविद्यालय के नाम पर निष्पादित करें, कि अभ्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा एवं सीट लिविंग बॉण्ड सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र पर निष्पादित करेगा।

प्रथम चरण से प्रवेश के समय अपग्रेड नहीं होने का ऑप्शन देने वाले अभ्यर्थियों को बंध पत्र सम्यक रूप से (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत) स्टाम्पित शपथ पत्र में निष्पादित करना होगा।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश